RIGHT TO INFORMATION

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

FORM –'E'

Form of supply of the Information to the applicant

(See Rule 4(3)

No.RTIA/DR-HCIND/ 2240 **Indore, Dated 03-11-2018**

प्रेषक :
डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर

प्रति :
श्री बन्टी सूर्यवंशी,
पिता श्री मनोहरलालजी सूर्यवंशी,
निवासी :मालवा मिल,
एजी –3, म0प्र.उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

विषयः– आपके व्दारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई0डी0क्रमांक 27/18–19 में जानकारी प्रदाय करने विषयक ।

उपरोक्त विषय में आपके व्दारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आवेदन–पत्र दिनॉक 10–10–2018 जिसे आई0डी0क्रमांक 27/2018–19 पर दिनॉक 10–10–2018 को पंजीकृत किया गया था एवं जिसके व्दारा आपने क्रिमिनल रिविजन सेक्शन में वर्तमान डीलिंग असिस्टेंट सुश्री हेमलता भारती के क्रिमिनल रिविजन सेक्शन में डी0ए0–1 बनने से दिनॉक 10–10–2018 तक उनकी कितनी फाईलें गुम हुई उन सभी फाईलों में सुश्री हेमलता भारती और कार्यालय व्दारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपिया प्रदान करने बाबद आवेदन किया था ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी सुश्री हेमलता भारती, डी0ए0–क्रिमिनल रिविजन, म0प्र0उच्च न्यायालय, खण्डपीठ– इन्दौर की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित प्रतीत होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होने से सुश्री हेमलता भारती को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु सुश्री हेमलता भारती को सूचना–पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनॉक 23–10–2018 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आपको देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में सुश्री हेमलता भारती ने व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनॉक 23–10–2018 को उपस्थित होकर मौखिक रूप से व लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि यदि आपके आवेदन दिनॉक 10–10–2018 में वर्णित उनकी व्यक्तिगत जानकारी आपको प्रदान की जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं साथ ही निवेदन किया कि उनसे संबंधित जो भी जानकारी आपको प्रदान की जावे तो उसकी एक प्रति उन्हें भी प्रदान की जावे ।

Received by me 4 pages
Bantu
03-11-18

तत्पश्चात् सूचना के अधिकार, 2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको दिनॉक 23–10–2018 को आमंत्रित किया गया एवं सुश्री हेमलता भारती व्दारा दिनॉक 23–10–2018 प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन की प्रतिलिपि प्रदान करते हुए आपको सूचनापत्र क्रमांक 2135 दिनॉक 24–10–2018 जारी कर निर्देशित किया गया कि आप सुश्री हेमलता भारती से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहते है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनॉक 30–10–2018 को उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी ।

O/C

03/11/18

निरन्तर...2 पर

उपरोक्त सूचनापत्र के पालन में आपने जावक क्रमांक 2863 दिनॉक 30–10–2018 को जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया कि आप सुश्री हेमलता भारती से संबंधित जो भी व्यक्तिगत–तृतीयपक्ष संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं इसमें व्यापक जनहित निहित हैं क्योकि जब–जब उनकी कस्टडी से उनको कार्यालय व्दारा अलाट की गई फाईले गुम हुई हैं तब–तब उनके व्दारा स्वयं नैतिक जिम्मेदारी न लेते हुए प्रत्येक अवसर पर उनके व्दारा दूसरों को उस फाईल के गुम होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन सभी पर कुछ न कुछ दण्डात्मक कार्यवाही संस्थित हो गई हैं जिसमें कार्यालय में तत्समय पदस्थ ओ0टी0, एच0ए0 तथा एस0ओ0 तक की नोटशीट चलाई गई हैं तथा पूर्व एस0ओ0 के खिलाफ भी उनके व्दारा नोटशीट चलाई गई जिससे वे भी प्रभावित हुए ।

आपके व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब का अध्ययन करने पर आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में किसी लोक क्रियाकलाप या व्यापक जनहित हित से सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता हैं क्योंकि यह सुश्री हेमलता भारती की निजी जानकारी हैं ।

इस संबंध में कार्यालय व्दारा आपके आवेदन पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पृष्ठांकन क्रमांक एड0/606–ए/1586 दिनॉक 24–10–2018 को 12 पृष्ठों की जानकारी प्रदाय कर सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार आपको जानकारी प्रदाय करने बाबद निर्देशित किया हैं, एवं कार्यालय व्दारा प्रदत्त उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको क्रिमिनल रिविजन क्रमांक 630/2013 से संबंधित 4 पृष्ठों की जानकारी इस आदेश के संलग्न प्रदान की जा रही हैं क्योंकि इसमें गुमें हुए प्रकरण की विभागीय जॉच ड्राप हो चुकी हैं एवं शेष 8 पृष्ठों की जानकारी आपको इसलिये प्रदान नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इनमें या तो आपके या सुश्री हेमलता भारती के खिलाफ विभागीय जॉचें पेण्डिंग हैं जिनका की सूचना के अधिकार के अधिनियम के अनुसार आपको प्रदान किया जाना व्यापक जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता हैं ।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन पर एक ही जानकारी प्रदान की जा सकती हैं ।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार के तहत आपको क्रिमिनल रिविजन क्रमांक 630/2013 से संबंधित 4 पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि **(अंशतः जानकारी)** इस आदेश के संलग्न प्रदान की जा रही है जिसमें सुश्री हेमलता भारती से संबंधित विभागीय जॉच को उपरोक्त गुम प्रकरण वापस मिल जाने के कारण विभागीय जॉच को ड्राप किया गया हैं एवं अन्य मिसिंग प्रकरणों संबंधी विभागीय जॉच वर्तमान में पेंडिंग होने के कारण वे उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको प्रदान नहीं की जा रही हैं ।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं ।

संलग्नः 4 पृष्ठों की जानकारी

(राजेश कुमार शर्मा) 23.11.18
लोक सूचना अधिकारी सह डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर